2021 का विधेयक संख्यांक 101.

[दि एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021

अनिवार्य रक्षा सेवाओं को बनाए रखने के लिए, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा और अधिकांशतः जन जीवन और संपत्ति को सुरक्षित रखने और उससे संबद्ध या आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनिवार्य रक्षा सेवा अधिनियम, 2021 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह 30 जून, 2021 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अनिवार्य रक्षा सेवाओं" से—

(i) रक्षा से संबद्ध किसी प्रयोजन के लिए अपेक्षित माल या उपस्कर के उत्पादन से व्यौहार करने वाले किसी स्थापन या उपक्रम में कोई सेवा ;

(ii) संघ के सशस्त्र बलों के किसी स्थापन के या उनसे संबद्ध स्थापन या रक्षा से संबद्ध किसी अन्य स्थापन या संस्थापन में कोई सेवा ;

(iii) रक्षा से संबंध किसी स्थापन के किसी अनुभाग में कोई सेवा, जिसका होना ऐसे स्थापन या उसमें नियोजित कर्मचारी की सुरक्षा पर निर्भर करता है, ;

(iv) कोई अन्य सेवा, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनिवार्य रक्षा सेवा घोषित करें, जिसमें कार्य का बंद होना प्रतिकूल रूप से—

(I) रक्षा उपस्कर या माल के उत्पादन को प्रभावित करता है ; या

(II) रक्षा से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए अपेक्षित माल या उपस्कर के उत्पादन में लगे हुए औद्योगिक स्थापन या इकाई के प्रचालन या अनुरक्षण को प्रभावित करता है ; या

(III) रक्षा से संबद्ध उत्पादों की मरम्मत या अनुरक्षण को प्रभावित करता है,

अभिप्रेत है ;

(ख) "हड़ताल" से अनिवार्य रक्षा सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा संयुक्त रूप से कार्य करते हुए कार्य का बंद करना, धीरे कार्य करना, धरने पर बैठना, अंदर रूकना, आंशिक हड़ताल, सहानुभूतिपूर्ण हड़ताल या बड़े पैमाने पर आकस्मिक छुट्टी लेना या किसी भी संख्या में व्यक्तियों द्वारा जो इस प्रकार नियोजित हैं या नियोजित किए गए हैं, कार्य जारी रखने से सम्मिलित रूप से इंकार करना या एक सामान्य सहमति के अधीन इंकार करना या नियोजन को स्वीकार करने से इंकार करना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत—

(i) समयोपरि कार्य से इंकार करना, जहां अनिवार्य रक्षा सेवाओं के अनुरक्षण के लिए ऐसा कार्य आवश्यक है ;

(ii) कोई अन्य आचरण जिसका संभवतः परिणाम या जिसके संभवतः परिणाम अनिवार्य रक्षा सेवा में कार्य को बंद करने या उसकी गुणवत्ता में कमी या व्यवधान के रूप में होता है,

सम्मिलित हैं ।

(2) शब्द और पद जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका उस अधिनियम में है । 1947 का 14

अनिवार्य रक्षा सेवाओं में हड़ताल को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति ।

3. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि—

(क) लोक हित में ; या

(ख) भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में ; या

(ग) किसी राज्य की सुरक्षा के लिए ; या

(घ) लोक व्यवस्था ; या

(ङ) शिष्टता ; या

(च) नैतिकता,

के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनिवार्य रक्षा सेवाओं में हड़तालों को प्रतिषिद्ध कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया आदेश ऐसी रीति में प्रकाशित किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार ऐसे आदेश से प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी में लाने के लिए ठीक समझे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया आदेश छः मास की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा, किंतु केन्द्रीय सरकार वैसे ही आदेश द्वारा उसका छः मास से अनधिक अवधि के लिए विस्तार कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है ।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के जारी करने पर—

(क) अनिवार्य रक्षा सेवाओं में लगा हुआ कोई व्यक्ति हड़ताल नहीं करेगा या हड़ताल पर नहीं रहेगा ;

(ख) ऐसी सेवाओं में लगे हुए या नियोजित व्यक्तियों द्वारा चाहे ऐसा आदेश जारी करने के पूर्व या उसके पश्चात् घोषित की गई या आरंभ की गई कोई हड़ताल अवैध होगी ।

व्यक्तियों का हटाना ।

4. जहां धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश जारी किया गया है तो कोई पुलिस अधिकारी ऐसे सभी उपाय कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे, जिसके अंतर्गत पुलिस बल का उपयोग भी है, यदि वह किसी व्यक्ति को हटाना आवश्यक समझता है जिसकी—

(क) रक्षा उपस्कर उत्पादन सेवा ; या

(ख) रक्षा से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए अपेक्षित माल या उपस्कर के उत्पादन या विनिर्माण में लगे हुए किसी औद्योगिक स्थापन या इकाई के प्रचालन या अनुरक्षण ; या

(ग) रक्षा से संबंधित उत्पादों की मरम्मत या अनुरक्षण,

से संबंधित किसी क्षेत्र में उपस्थिति अनिवार्य रक्षा सेवाओं के कार्यकरण, सुरक्षा या अनुरक्षण के लिए प्रतिकूल होगी ।

अवैध हड़तालों में भाग लेने वाले कर्मचारियों की पदच्युति ।

5. (1) कोई व्यक्ति—

(क) जो कोई हड़ताल आरंभ करता है, जो इस अध्यादेश के अधीन अवैध है या ऐसी, किसी हड़ताल पर जाता है या हड़ताल में रहता है या अन्यथा उसमें भाग लेता है ; या

(ख) जो कोई अन्य व्यक्तियों को ऐसी किसी हड़ताल के आरंभ करने के लिए, हड़ताल पर जाने के लिए या उसमें बने रहने के लिए या उसमें अन्यथा भाग लेने के लिए दुष्प्रेरित या उद्यीप्त करता है,

उन समान उपबंधों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई का दायी होगा (जिसके अंतर्गत पदच्युति भी है) जो उसके नियोजन के संबंध में उसे लागू सेवा के निबंधनों और शर्तों के अधीन किसी अन्य आधार पर जो ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई (जिसके अंतर्गत पदच्युति भी है) करने के प्रयोजन के लिए उसे लागू होते हैं ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात या अनिवार्य रक्षा सेवाओं में नियोजित किसी व्यक्ति को लागू सेवा के निबंधनों और शर्तों के अधीन किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को पदच्युत करने से पूर्व, कोई जांच आवश्यक नहीं होगी, यदि ऐसे व्यक्ति को पदच्युत या पद से हटाने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उस प्राधिकारी द्वारा किसी कारण को लेखबद्ध करते हुए यह समाधान हो जाता है कि युक्तियुक्त रूप से ऐसी जांच करना व्यवहार्य नहीं है ।

अवैध हड़तालों के लिए शास्ति ।

6. कोई व्यक्ति, जो हड़ताल आरंभ करता है जो कि इस अधिनियम के अधीन अवैध है या हड़ताल करता है या हड़ताल में रहता है या ऐसी किसी हड़ताल में भाग लेता है, कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

दुष्प्रेरण आदि के लिए शास्ति इत्यादि ।

7. कोई व्यक्ति, जो अन्य व्यक्तियों को किसी हड़ताल जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, में भाग लेने के लिए या अन्यथा हड़ताल को अग्रसर करने के किसी कृत्य के लिए दुष्प्रेरित या उद्यीप्त करता है, कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पंद्रह हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

अवैध हड़तालों को वित्तीय सहायता देने के लिए शास्ति ।

8. कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर किसी हड़ताल, जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, को अग्रसर करने में या उसके समर्थन में धन देता है या धन की आपूर्ति करता है, कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पंद्रह हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

अनिवार्य रक्षा सेवाओं में लगे हुए किसी औद्योगिक स्थापन या इकाई में तालाबंदियों को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति ।

9. (1) यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) लोक हित में ; या

(ख) भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में ; या

(ग) किसी राज्य की सुरक्षा के लिए ; या

(घ) लोक व्यवस्था ; या

(ङ) शिष्टता ; या

(च) नैतिकता,

के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनिवार्य रक्षा सेवाओं में लगे हुए औद्योगिक स्थापनों या इकाईयों में तालाबंदियों को प्रतिषिद्ध कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया आदेश ऐसी रीति में प्रकाशित किया जाएगा

जो केन्द्रीय सरकार ऐसे आदेश से प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी में लाने के लिए ठीक समझे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया आदेश छः मास की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा, किंतु केन्द्रीय सरकार वैसे ही आदेश द्वारा उसका छः मास से अनधिक अवधि के लिए विस्तार कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है ।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के जारी करने पर -

(क) अनिवार्य रक्षा सेवाओं में लगा हुआ कोई नियोक्ता तालाबंदी आरंभ नहीं करेगा ; और

(ख) अनिवार्य रक्षा सेवाओं में लगे हुए किसी नियोक्ता द्वारा ऐसा आदेश जारी करने के पूर्व या उसके पश्चात् घोषित या आरंभ की गई कोई तालाबंदी अवैध होगी ।

(5) अनिवार्य रक्षा सेवाओं में लगा हुआ औद्योगिक स्थापन या इकाई का कोई नियोक्ता, जो किसी तालाबंदी, जो इस धारा के अधीन अवैध है, को आरंभ करता है, जारी रखता है या अन्यथा उसको अग्रसर करने के लिए कार्य करता है, कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगी ।

अनिवार्य रक्षा सेवाओं में लगे हुए किसी औद्योगिक स्थापन या इकाई में कामबंदी को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति ।

10. (1) यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) लोक हित में ; या

(ख) भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में ; या

(ग) किसी राज्य की सुरक्षा के लिए ; या

(घ) लोक व्यवस्था ; या

(ङ) शिष्टता ; या

(च) नैतिकता,

के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा विद्युत की कमी या प्राकृतिक आपदा के सिवाय किसी अन्य आधार पर किसी कर्मकार (बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न), जिसका नाम अनिवार्य रक्षा सेवाओं में लगे हुए औद्योगिक स्थापनों या इकाईयों के मस्टर रोल में है, की किसी अन्य आधार पर कामबंदी को प्रतिषिद्ध कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया आदेश ऐसी रीति में प्रकाशित किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार ऐसे आदेश से प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी में लाने के लिए ठीक समझे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया आदेश छः मास की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा, किंतु केन्द्रीय सरकार वैसे ही आदेश द्वारा उसका छः मास से अनधिक अवधि के लिए विस्तार कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है ।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के जारी करने पर -

(क) किसी स्थापन के संबंध में, जिसको ऐसा आदेश लागू होता है, कोई नियोक्ता किसी कर्मकार (बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न), जिसका नाम अनिवार्य रक्षा सेवाओं में लगे हुए औद्योगिक स्थापन या इकाई के मास्टर रोल में है, की सिवाय विद्युत की कमी या प्राकृतिक आपदा के किसी अन्य आधार पर कामबंदी नहीं करेगा और ऐसी कामबंदी या कामबंदी का जारी रहना सिवाय विद्युत या प्राकृतिक आपदा के होता है तो वह कामबंदी अवैध होगी ;

(ख) कोई कर्मकार, जिसकी खंड (क) के अधीन कामबंदी अवैध है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों का ऐसे हकदार होगा मानो उसकी कामबंदी नहीं की गई थी ।

(5) अनिवार्य रक्षा सेवाओं में लगे हुए किसी स्थापन या इकाई का कोई नियोक्ता, जो किसी कर्मकार की कामबंदी करता है या कामबंदी को जारी रखता है, यदि ऐसी कामबंदी या कामबंदी का जारी रहना इस धारा के अधीन दंडनीय है, कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति ।

11. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को, जिस पर इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का युक्तियुक्त संदेह है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा । 1974 का 2

अपराधों का त्वरित विचारण ।

12. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का त्वरित विचारण विशेष रूप से किसी मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा, जिसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से और उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 (दोनों सम्मिलित) के उपबंध जहां तक हो सके, ऐसे विचारण को लागू हों : 1974 का 2

परंतु इस धारा के अधीन किसी अपराध के त्वरित विचारण पर दोषसिद्धि की दशा में, ऐसे मजिस्ट्रेट के लिए कारावास की किसी अवधि का दंडादेश, जिसके लिए ऐसा अपराध इस अधिनियम के अधीन दंडनीय है, पारित करना विधिपूर्ण होगा ।

अपराधों का संज्ञान ।

13. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे । 1974 का 2

कतिपय क्षेत्रों में अन्य विधियों का निर्देश ।

14. इस अधिनियम में किसी विधि के प्रति कोई निर्देश, जो किसी क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है और ऐसी विधि में उस क्षेत्र के संबंध में किसी प्राधिकारी के प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि और ऐसी तत्स्थानी विधि के अधीन तत्स्थानी प्राधिकारी के प्रति किया जाएगा ।

सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

15. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही प्रभाव होना ।

16. इस अधिनियम या उसके अधीन जारी किसी आदेश के उपबंधों का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभाव होगा । 1947 का 14

1947 के अधिनियम सं. 14 का संशोधन ।

17. औद्योगिक विवाद अधिनियम**,** 1947 की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (झक) में "या डॉक" शब्दों के स्थान पर "या डॉक या अनिवार्य रक्षा सेवाओं में लगा हुआ कोई औद्योगिक स्थापन या इकाइ" शब्द रखे जाएंगे ।

अधिसूचनाओं का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

18. इस अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि अधिसूचना जारी नहीं होनी चाहिए तो तत्पश्चात् अधिसूचना ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी या प्रभावी नहीं होगी, यथास्थिति, किंतु उस अधिसूचना के उपातंरण या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2021 का अध्यादेश सं0 7

निरसन और व्यावृत्ति ।

19. (1) अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 का निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई किसी कार्रवाई को इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया या हुआ समझा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय आयुध कारखाने सबसे पुराने और सबसे बड़े ऐसे औद्योगिक गठन हैं, जो रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्य करते हैं । आयुध कारखाने रक्षा हार्डवेयर और उपस्कर के स्वदेशी उत्पादन के लिए एक एकीकृत आधार का निर्माण करते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों को अद्यतन युद्ध क्षेत्र उपस्करों से सुसज्जित करने में आत्मनिर्भरता हासिल करना है । आयुध आपूर्तियों में स्वायत्ता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार करने के लिए सरकार ने आयुध कारखाना बोर्ड को एक या अधिक शत-प्रतिशत सरकारी स्वामित्वाधीन कार्पोरेट अस्तित्व या अस्तित्वों में संपरिवर्तित करने का विनिश्चय किया है, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा ।

2. उक्त विनिश्चय के विरुद्ध, कर्मचारियों के मान्यताप्राप्त परिसंघों ने अनिश्चितिकालीन हड़ताल की सूचना दी है । सरकार द्वारा मुख्य श्रम आयुक्त के स्तर पर आरंभ की गई सुलह कार्यवाहियां 15 जून, 2021 को आयोजित बैठक में असफल हो गई । 16 जून, 2021 को, सरकार ने आयुध कारखाना बोर्ड को सात सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों में परिवर्तित करने का विनिश्चय किया ।

3. सरकार द्वारा आयुध कारखाना बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का ध्यान रखने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद, कर्मचारियों के मान्यताप्राप्त परिसंघों ने 26 जुलाई, 2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के अपने आशय को दोहराया है ।

4. चूंकि, देश की रक्षा तैयारियों के लिए सशस्त्र बलों को आयुध मदों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना और आयुध कारखानों का बिना किसी व्यवधान के कार्य जारी रखना, विशेष रूप से देश के पूर्वोत्तर भाग में विद्यमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य है, का अनुभव किया गया था कि ऐसे प्रयासों द्वारा सृजित आकस्मिकता से निपटने के लिए और रक्षा से संबंद्ध सभी स्थापनों में अनिवार्य रक्षा सेवाओं के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए लोक हित में या भारत की संप्रभुता और अखंडता या किसी राज्य की सुरक्षा या शिष्टता या नैतिकता के हित में सरकार के पास शक्ति होनी चाहिए ।

5. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और तुरंत विधान बनाने की आवश्यकता थी, राष्ट्रपति ने 30 जून, 2021 को अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 प्रख्यापित किया, जो अन्य बातों के साथ निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात् :—

(क) "अनिवार्य रक्षा सेवाएं" और "हड़ताल" पद को परिभाषित करना ;

(ख) केन्द्रीय सरकार को अनिवार्य रक्षा सेवाओं में हड़ताल प्रतिषिद्ध करने के लिए सशक्त करना ;

(ग) हडताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का उपबंध करना जिसके अंतर्गत पदच्युति भी है ;

(घ) अवैध हड़तालों, उनके लिए दुष्प्रेरित करने और ऐसी अवैध हड़तालों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, शास्तियों का उपबंध करना ;

(ङ) किसी पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदत्त करना, जिस पर प्रस्तावित विधान के अधीन कोई अपराध कारित करने का युक्तियुक्त संदेह है ।

6. अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021 पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
13 जुलाई, 2021

राजनाथ सिंह

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 2 का उपखंड (1), केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त उपखंड में विनिर्दिष्ट से भिन्न किसी अन्य सेवा को अनिवार्य रक्षा सेवा के रूप में घोषित करने के लिए सशक्त करता है, जिसके कार्य का बंद हो जाना प्रतिकूल रूप से रक्षा उपस्कर या माल के उत्पादन को ; या रक्षा से संबद्ध किसी प्रयोजन के लिए अपेक्षित माल या उपस्कर के उत्पादन में लगे हुए किसी औद्योगिक स्थापन या इकाई के प्रचालन या अनुरक्षण ; या रक्षा से संबद्ध उत्पादों की मरम्मत या अनुरक्षण को प्रभावित करेगा ।

2. विधेयक के खंड 3 का उपखंड (1), केन्द्रीय सरकार को साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनिवार्य रक्षा सेवाओं में हड़तालों को प्रतिषिद्ध करने के लिए सशक्त करता है, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ; या भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में ; या किसी राज्य की सुरक्षा के लिए ; या लोक व्यवस्था ; या शिष्टता ; या नैतिकता, के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है ।

3. विधेयक के खंड 9 का उपखंड (1), केन्द्रीय सरकार को साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनिवार्य रक्षा सेवाओं में लगे हुए किन्हीं औद्योगिक स्थापनों या इकाईयों में तालाबंदियां प्रतिषिद्ध करने के लिए सशक्त करता है, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ; या भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में; या किसी राज्य की सुरक्षा के लिए ; या लोक व्यवस्था ; या शिष्टता ; या नैतिकता, के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है ।

4. विधेयक के खंड 10 का उपखंड (1), केन्द्रीय सरकार को विद्युत की कमी या प्राकृतिक आपदा से भिन्न किसी अन्य आधार पर किसी कर्मकार की (बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न), जिसका नाम अनिवार्य रक्षा सेवाओं में लगे हुए किसी औद्योगिक स्थापन या इकाई के मस्टर रोल में है, कामबंदी को विशेष या साधारण आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध करने के लिए सशक्त करता है, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ; या भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में ; या किसी राज्य की सुरक्षा के लिए ; या लोक व्यवस्था ; या शिष्टता ; या नैतिकता के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है ।

5. विषय, जिनके संबंध में पूर्व वर्णित अधिसूचना या आदेश जारी किए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और इस प्रकार प्रस्तावित विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्यांक 14) से उद्धरण

* * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,— परिभाषाएं ।

* * * * *

(ढ) "लोक उपयोगी सेवा" से अभिप्रेत है—

* * * * *

(ik) किसी महापत्तन या डॉक में या उसके कार्यकरण से संबंधित कोई सेवा;

* * * * *